न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/73/2023	2023/493	27–07–2023	31–01–2024

01– कमलजीतसिंह पुत्र श्री नानकसिंह निवासी बी गेट सरदार मौहल्ला भरतपुर राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार अलवर दिनांक 28.05.2012 नामान्तकरण संख्या 2103 वाके ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर।

उपस्थितः–
01–श्री ओमानन्द चौधरी
02–श्री दीपक मीना

–वकील अपीलान्ट
–राजकीय अभिभाषक

निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 28.05.2012 नामान्तकरण संख्या 2103 वाके ग्राम अलवर नं. 1 तहसील अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी हाल खसरा नंबर 2565 रकबा 0.38 है0 वाके अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी की अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार श्रीमती गीता देवी धर्मपत्नी श्री महेन्द्र कुमार चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम गण्डूरा तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 थी। जिसने अपनी उक्त आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2012 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 42 पृष्ठ संख्या 186 क्रम संख्या 189 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 88 पृष्ठ संख्या 196–200 उप पंजीयक टपूकड़ा जिला अलवर राजस्थान के मिन अपीलाण्ट व डॉ0 मन्जूलता अग्रवाल धर्मपत्नी श्री सतीशचन्द अग्रवाल जाति महाजन निवासी महान नंबर 130 एन ई बी हाउसिंग बोर्ड कृषि उपज मण्डी के पीछे शहर अलवर राजस्थान, श्रीमती ममता गर्ग धर्मपत्नी श्री दिनेश गर्ग जाति महाजन निवासी प्लॉट 21 अशोक विहार शहर अलवर राज0, अनिल गोयल पुत्र श्री ललता प्रसाद गोयल निवासी गुडवाला भवन रामगंज अलवर को विक्रय कर दी तथा प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर वास्तविक/भौतिक रूप से कब्जा करा दिया तथा विक्रय पत्र विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार क्रेताओं के हक में उप पंजीयक के समक्ष पंजीबद्ध करा दिया। जिस विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 2092 दिनांक 16.03.2012 को तहसीलदार अलवर द्वारा उक्त क्रेताओं के हक में दर्ज व तस्दीक किया गया है, जिस नामांतकरण में मिन अपीलाण्ट का नाम कॉलम संख्या 9 में कमलजीतसिंह पुत्र श्री नानकसिंह सा. भरतपुर सही प्रकार मुताबिक विक्रय पत्र सही दर्ज किया गया है। तत्पश्चात उक्त आराजी का उक्त क्रेताओं के मध्य विभाजन आपसी सहमति से हो गया, जिस विभाजन के अनुसार नामांतकरण दर्ज करने के लिए तहसीलदार अलवर द्वारा आदेश क्रमांक 2187 दिनांक 25.05.2012 को जारी किया गया। जिसके आधार पर आलोच्य नामांतकरण विभाजन संख्या 2103 दिनांक 28.05.2012 को रेस्पोडेण्ट तहसीलदार अलवर द्वारा तस्दीक किया गया है, जिस नामांतकरण के कॉलम संख्या 7 में मिन अपीलाण्ट का नाम " कमलजीतसिंह पुत्र नानकसिंह सा. भरतपुर" सही प्रकार दर्ज किया गया है लेकिन उक्त नामांतकरण संख्या कॉलम सं. 9 में मिन अपीलाण्ट का नाम " कमलजीतसिंह पुत्र नानकसिंह सा. भरतपुर" के बजाय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (...)
अलवर (राज0)

लिपिकीय त्रुटि से "कवलजीतसिंह पुत्र नानकसिंह सा. भरतपुर" दर्ज कर दिया गया है। मिन अपीलाण्ट का वास्तविक नाम "कमलजीतसिंह" है तथा मिन अपीलाण्ट के पहचान संबंधी समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड आदि व उक्त पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 13.02.2012 व नामांतकरण सं. 2092 में भी मिन अपीलाण्ट का नाम "कमलजीतसिंह" है, लेकिन आलौच्य आज्ञा जेर बहस अपील में रेस्पोडेण्ट द्वारा बिना सही नाम की जांच किये मिन अपीलाण्ट का नाम "कमलजीतसिंह" दर्ज कर दिया गया है। गलत अंकन की जानकारी मिन अपीलाण्ट को राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर हुई। इसलिए अपीलाधीन आज्ञा को संशोधित कर उसमें दर्ज मिन अपीलाण्ट का नाम "कवलजीतसिंह" को कलमजन कर उसके स्थान पर मिन अपीलाण्ट का वास्तविक नाम "कमलजीतसिंह" दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। आलोच्य आज्ञा नामांतकरण पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट जो कि पीड़ित व हितवद्ध पक्षकार हैं, को तलब नहीं किया गया, ना अपीलाण्ट को कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। ऐसी अवस्था में आलोच्य आज्ञा नामांतकरण मनमानी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त आज्ञा तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 28.05.2012 इंतकाल विभाजन सं. 2103 अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर राज0 की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलाण्ट को दिनांक 08.02.2021 को हुई, जब पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को उसकी खरीदशुदा आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल लेने जाने पर मौखिक रूप से उक्त आज्ञा की जानकारी दी। आज्ञा दिनांक 28.05.2012 से सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.02.2021 व आज तक का समय अपीलाण्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में गुजरा दिये जाने योग्य है। जिसे माफ किये जाने हेतु अपील के साथ पृथक से प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे, तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28.05.2012 नामान्तकरण संख्या 2103 वाके अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर संशोधित कर अपीलाण्ट का नाम "कवलजीतसिंह" को कमलजन कर उसके स्थान पर मिन अपीलाण्ट का वास्तविक नाम "कमलजीतसिंह" दर्ज व तस्दीक किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 2103 वाके ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में सहवन से कमलजीतसिंह के स्थान पर कवलजीतसिंह अंकित किया गया है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2103 निर्णय दिनांक 28.05.2012 वाके ग्राम अलवर नं.1 तहसील व जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 22.02.2021 को पेश की गयी है, जो करीब 09 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2012 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 08.02.2021 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि सहमति के आधार पर बंटवारानामा का इंतकाल नंबर 2103 में अपीलाण्ट का नाम कॉलम संख्या 7 में दर्ज कमलजीतसिंह के स्थान पर कॉलम नंबर 9 में कवलजीतसिंह दर्ज किया गया है, जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। नामान्तकरण संख्या 2103 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण सहमति के आधार पर बंटवारा का दर्ज व स्वीकार किया गया है। बंटवारे पूर्व की स्थिति कॉलम नंबर 7 में अंकित है जिसमें अपीलाण्ट का नाम कमलजीतसिंह अंकित है। बंटवारा उपरान्त कॉलम नंबर 9 में अपीलाण्ट का नाम कवलजीतसिंह कर दिया गया है। नामान्तकरण संख्या 2103 में अपीलाण्ट का नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहवन से कमलजीतसिंह के स्थान पर कवलजीतसिंह दर्ज किया गया है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28.05.2012 नामान्तकरण संख्या 2103 वाके ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर अपीलान्ट के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि नामान्तकरण संख्या 2103 दिनांक 28.05.2012 जो सहमति के आधार पर बंटवारानामा स्वीकार किया गया है, की भंली–भांति जांच कर नियमों के आलोक में विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-1-24

(मुरारी लाल शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)